# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 195/2017

आरसीएमएस नं. 2017/00031

महेन्द्र कुमार पुत्र अजय कुमार उर्फ मंगतूराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर, टिब्बी

प्रकरण सं0 47/2011 अनवान महेन्द्र बनाम तहसीलदार राजस्व, टिब्बी

उपस्थितिः—

श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

## निर्णय दिनांक 27/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र चक 5 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 227/290 के किला नं. 5 में दर्ज पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता को निरस्त करने हेतु पेश किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय के अनुसार तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि अगर प. नं. 227/290 किला नं. 5 में रास्ता निरस्त

अशोककुमार
27/10/23

होता है तो काश्तकारों को आने जाने में परेशानी होगी। अतः रास्ता को निरस्त किया जाना उचित नही है। प्रकरण में दलीप पुत्र त्रिलोकचन्द ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया साथ ही प्रार्थना–पत्र रास्ता खारिज करने बाबत भी खारिज कर दिया एवं रास्ता खुलवाने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। अपील में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी अपीलाण्ट ने पेश किया जो दिनांक 07.07.2017 को खारिज कर दिया। इस प्रार्थना–पत्र की अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 08.06.2023 के द्वारा प्रकरण का एक माह में निस्तारण करने का निर्देश दीये साथ ही तब तक उभयपक्ष को विवादग्रस्त रास्ता/स्थान की यथास्थिति मौके एवं रिकार्ड की बनाये रखने के आदेश दिये हैं।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट की तलबी करवाये बिना तथा किसी प्रकार एतराज किये बिना प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। प्रशगनत रास्ता पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद कभी भी उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग नहीं किया गया है। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग अन्य काश्तकार द्वारा भी सुविधा के अनुसार नहीं किया जा सकता है। उक्त रास्ता का आवागमन अन्य काश्तकारों के लिए सुविधा के पक्ष में नही है। प्रश्नगत रास्ता अन्य किसी भी काश्तकार की की भूमि से नहीं लगता है। प्रार्थना–पत्र का दस्तावेजी एवं साक्ष्यों का परिशिलन नही किया गया है। किला नं. 5 में दर्ज उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दो रास्तों का अंकन किया गया है पूर्व से पश्चिम दिशा मे दर्ज रास्ता बन्द होने के कारण उक्त स्थान पर प्रार्थी की मौका पर नरमा की फसल काश्त की हई है व ना ही उक्त आवागमन के रूप में कभी उपयोग हुआ है। अपीलाण्ट व अन्य काश्तकारों ने अपने खेतों की सिंचाई सुविधा के लिए

अशोक कुमार
27/10/23

घरू खाला बना रखा है। किला नं. 5 में 2 रास्ते दर्ज होने के कारण अपीलांट को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि रजीराम वगैरा के नाम दर्ज है। प. नं. 227/290 मु. नं. 74 के किला नं. 1 ता 4 में स्वीकृतशुदा रास्ता खुला हुआ है जबकि किला नं. 5 में मौका पर रास्ता बन्द है। प. नं. 290 के किला नं. 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता खुलता है तो यह रास्ता टीएलडब्ल्यू नहर की सीमा को जोड़ता है, जिससे अन्य काश्तकारों को आने जाने हेतु सुविधा होगी। यदि किला नं. 5 में रास्ता निरस्त होता है तो काश्तकारों को आने जाने में परेशानी होगी। इस कारण विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र चक 5 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 227/290 के किला नं. 5 में दर्ज पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता को निरस्त करने हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय के अनुसार तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि अगर प. नं. 227/290 किला नं. 5 में रास्ता निरस्त होता है तो काश्तकारों को आने जाने में परेशानी होगी। अतः रास्ता को निरस्त किया जाना उचित नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रास्ता को निरस्त किया जाना उचित नही मानने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। क्यों कि रास्ता निरस्त करने से अन्य कातश्कारों को आने जाने मे परेशानी होगी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2017 यथावत रखा

अशोककुमार
27/10/23

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/23
(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़